


// सूचना //

प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिये जाने पर कटौती के संबंध में

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 तकनीकी शिक्षा कौशल एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 15 के अनुसार काउंसिलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने तक विनिर्दिष्ट समय सीमा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। त्याग पत्र दिये जाने पर अभ्यर्थी के प्रवेश शुल्क में से विनिर्दिष्ट कटौती किये जाकर शेष राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में लौटाई जाने का उल्लेख है। विनिर्दिष्ट कटौती निम्नानुसार होगी :-

- 1) सामान्य अभ्यर्थी के लिये प्रवेश शुल्क की 10 प्रतिशत राशि (अधिकतम रूपये 10,000/-)।
- 2) एन आर आई अभ्यर्थियों के लिये (अधिकतम रूपये 25000/-)।


21.06.19
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश
21/6/19